

विपत्ति का अस्त  
इसलिए प्रार्थना से  
दिनांक 9/1/20 को पेश हो।

9/1/20

पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष उपस्थित  
है/पीठासीन अधिकारी अवकाश में  
होने/अन्य राजकीय कार्य में व्यस्त  
होने/बाद प्रार्थना से  
दिनांक 29/1/20 को पेश हो।

29/1/20

पत्रावली पेश है उपस्थित  
है/पीठासीन अधिकारी अवकाश में  
होने/अन्य राजकीय कार्य में व्यस्त  
होने/बाद प्रार्थना से  
दिनांक को पेश हो।

30.1.20

पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष उपस्थित  
विपत्ति का अस्त द्वारा जवाब पेश कर विवेक  
प्रिया कि प्रार्थों भी अग्नि के सीमा सम्बन्धी कोई  
विवाद नहीं है प्रार्थों भी अग्नि के ग्राह शिवनाथ प्र  
से कुल्लेपुरा जाते का रास्ता निकल रहा है  
जिसका कण्ड कर दिष्ट तथा समझाने पर भी  
कोही जान रहा है रास्ता रातभान धाट पर जा रहा है  
प्रार्थों पत्रावली कर रास्ते की कण्ड करण पाए है  
जकादि रास्ता पत्रावली पुराना जा रहा है

पार्श्वों का प्रार्थना पत्र खारीज करना व  
 पञ्जावली का आवलोकन कर करण किया  
 तो पाया कि पार्श्वों खातेदार कृषक की शक्ति  
 का सीमांकन करा सकता है जिसमें कायनी फार्म  
 शेक गयी है. जहा तक विपक्षी का कचरा की  
 कि उम्मीद शक्ति के गलत जा रहा है यह तब  
 वर्तमान के इन्फार्म से साबित गयी कराया गया  
 पत्र गयी कराने के बाद मोरचा पत्रों के द्वारा  
 इसका विवरण कायना तो सार्वजनिक गलत  
 कांड गयी किया जायगा. इसका ठीक ठीक इम्तान  
 के करण इस आदेश जारी किया जाना उचित है

अतः पार्श्वों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र  
 स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि पार्श्वों  
 के नाम दर्ज खातेदारी कायनागत गाम विधान  
 पुरा के ख. नं १९६ से १९७, १९९ से २०५, २११, २१२ से २२१  
 किना १३ ख. नं ५-५५५०० है. शक्ति की पत्र गयी  
 करायी जावे. मोरचा स्थिति में किसी तरह का  
 परिवर्तन गयी करे. खर्चा का प्रिन्सिपल १५०० RS अथ  
 कम करते पर तथा ५०० RS राजकोष के नाम  
 होने पर १.२.२ पत्र गयी कराई जावे। पत्र गयी  
 गलतीदार शत्रु के इम्तान जारी हो. पञ्जावली  
 फौजल शुभार होकर गलत से काय हो।

*(Signature)*  
 30-1-2020

सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी)  
 रायपुर (मीलवाडी)

